

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक :- 30ए/07 अ0दी0

संस्थित दिनांक 02.05.2007

- 1- अपरवलसिंह पुत्र छोटेसिंह, आयु 60 साल, जाति तोमर ठाकुर धंधा खेती निवासी ग्राम सुहांस परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----अपीलार्थी/वादी

बनाम

- 1- शंकरदास गुरु जानकीदास उर्फ कंचनसिंह पुत्र छोटेसिंह आयु 60 साल जाति बैरागी निवासी पचनदा आश्रम जिला जालौन उत्तरप्रदेश
- 2- मुन्नासिंह आयु 35 साल,
- 3- गदनबिहारी आयु 32 साल,
- 4- कुंजबिहारी आयु 30 साल
- 5- अजीतसिंह, आयु 27 साल,
- 6- सुजानसिंह उर्फ अजानसिंह, आयु 24 साल, पुत्रगण सोनेसिंह ग्राम सुहांस परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 7- सोने सिंह पुत्र छोटेसिंह, आयु 65 साल जाति तोमर ठाकुर, धंधा खेती निवासी ग्राम सुहांस परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 8- सनमानसिंह, आयु 75 साल
- 9- नाथुसिंह आयु 72 साल पुत्रगण छोटेसिंह जाति तोमर ठाकुर धंधा खेती निवासी ग्राम सुहांस परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 10- म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड म0प्र0

-----प्रतिअपीलार्थीगण

अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता श्री आर0पी0एस0गुर्जर अधि0

प्रतिअपीलार्थीगण क्रं01 लगायत 7 द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधि0

प्रतिअपीलार्थी क्रं0 8 लगायत 10 पूर्व से एक पक्षीय

// निर्णय //

(आज दिनांक 31-7-2015 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/वादी द्वारा यह व्यवहार अपील श्री आर0बी0यादव अति0 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 162-ए/06 इ0दी0 में घोषित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 22-3-07 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी/वादी को प्रतिवादीगण के साथ विवादित भूमि में संयुक्त रूप से 1/5, 1/5 भाग का भू-स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना मानते हुये उसका दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है तथा शेष सहायता के संबंध में उसका दावा निरस्त किया गया है ।

02. प्रकरण में अविवादित हैं कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 तथा प्रतिवादी क्रं0 7 लगायत 9 आपस में सगे भाई हैं जिनके पिता छोटे सिंह थे । प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 6 प्रतिवादी क्रं07 के पुत्रगण हैं ।

03. विचारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि वादग्रस्त भूमियां स्थित ग्राम सुहांस की भूमि सर्वे क्रमांक 323 रकवा 0.42 , 325 रकवा 0.59, 323 रकवा 1.05, 342 रकवा 0.35, 345 रकवा 0.15, 352 रकवा 0.28, 597 रकवा 0.25, 816 रकवा 0.20, 834 रकवा 0.45, 844 रकवा 0.90 कुल 10 किता रकवा 7.66 हैक्टेयर तथा सर्वे नं0350 रकवा 2.100 के शासकीय पट्टेदार वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1,7,8 एवं 9 के पिता छोटे सिंह थे । सन् 1958 में स्व0 छोटेसिंह के निधन के उपरांत वादी एवं प्रतिवादी क्रं01 एवं 7 लगायत 9 उनके विधिक वारिसान के रूप में भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी हुये । जिसमें प्रति0क्रं0 1 की शादी नहीं हुयी थी और उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था । उन्होंने पिताजी की मृत्यु के बाद सन् 1960 में अषाढ शुदी गुरु पूर्णिमा के दिन बैराग ले लिया था और उसी दिन अपने गुरु जानकीदास के आश्रम स्थित पचनदा जिला जालौन उत्तरप्रदेश मे गुरु मंत्र लिया और लंगोटी व भभूति प्राप्त कर संतों व सामाजिक अन्य व्यक्तियों के समक्ष सन्यास ग्रहण कर लिया था और अपने प्राकृतिक परिवार से अलग होकर सन्यासी परिवार में सम्मिलित हुए । प्रतिवादी क्रं01 अपने पिता से प्राप्त समस्त संपत्ति चारों भाईयों को निर्वसीयत छोड दी । इस प्रकार प्रति क्रं01 द्वारा वेराग धारण कर लेने से उसकी सिविल डेथ हो गई थी और इस प्रकार वादग्रस्त भूमियों में वादी एवं प्रतिवादी क्रं0 7 लगायत 9 ही क्रमशः 1/4, 1/4 भाग के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी हुये और तदनुसार उनका ही कब्जा है ।

04. वादी ने आगे अपने अभिवचन में अभिकथन किया है कि वादी भारतीय रक्षा विभाग में सर्विस करता रहा। प्रति0क्रं0 7 लगायत 9 घर पर रहे। प्रति0क्रं0 8 सनमानसिंह प्रति0क्रं0 9 नाथूसिंह से अलग हो गये। वादी एवं प्रतिवादी क्रं07 सोनेसिंह सामिल शरीक रहे।

वादी प्रतिवादी क्रं०७ सोनेसिंह के पास रहा और 1/4 व 1/4 भाग प्रतिवादी क्रमांक 8 एवं प्रतिवादी क्रं०९ के पास रहा। दिनांक 31-12-90 को शासकीय सेवा से मुक्त होने के बाद वादी भी अपने पैत्रिक गांव सुहांस में आकर रहने लगा और अपने हिस्से की भूमि पर अलग खेती करने लगा। वादग्रस्त भूमि के पश्चिम दिशा के 1/4 भाग जो उसे घरू बटबारे में मिला उस पर वह काबिज है। प्रति०क्रं०७ सोने सिंह चालाक किस्म का व्यक्ति है। उसने प्रति०क्रं० 1 जो कि सन्यासी होकर जिसकी सिविल डेथ हो चुकी थी उसे वहला फुसलाकर दिनांक 3-1-03 को अपने पुत्रों प्रति०क्रं० 2 लगायत 6 के हक में गोपनीय तौर से वसीयतनामा लिखवा लिया जिसको करने का प्रति०क्रं० 1 को कोई हक नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर अब प्रति०क्रं० 1 का कोई हक व अधिकार शेष नहीं है। अतः वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त भूमियों में अपने भूमिस्वामित्व हक की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु व्यवहार वाद समुचित रूप से मूल्यांकित व मुद्रांकित किया जाना दर्शाते हुये समय सीमा में विचारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुये उसे सव्यय आज्ञाप्त किये जाने का निवेदन किया।

05. प्रतिवादी क्रं० 1 लगायत 7 ने जवाब दावा पेश कर उपरोक्त स्वीकृत तथ्यों के अलावा वादी के वाद में किये गये शेष समस्त अभिवचनों का विशिष्ट रूप से इंकार करते हुये अतिरिक्त रूप से अभिवचन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रं०१ एवं 7 लगायत 9 के पिता छोटे सिंह के भूमिस्वामित्व की भूमि आराजी क्रं० 947, रकवा 5 वीघा, 957/1 रकवा 2 वीघा 19 विस्वा, एवं 1015 रकवा 2 वीघा 5 विस्वा स्थित ग्राम सुहांस तहसील परगना गोहद में स्थित है। उक्त भूमि ही वादी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक संपत्ति है जिनका कि बंदोबस्त पश्चात् सर्वे क्रं० 330,325 और 836 हुये इसके अतिरिक्त सर्वे क्रमांक 942/1 रकवा 0.418, 963 रकवा 0.157, 965 रकवा 0.052, 951 रकवा 0.240, 1039 रकवा 0.951 जिनका कि बंदोबस्त के उपरांत परिवर्तित नम्बर 323 रकवा .42, 345 रकवा 0.15, 342 रकवा 0.35, 844 रकवा 0.90 को उनके पूर्व स्वामी बदनसिंह, सोवरनसिंह, हरचंदसिंह व भारतसिंह पुत्रगण लल्लासिंह तोमर निवासी सुहांस से करीब 30 वर्ष पूर्व वादी एवं प्रतिवादी क्रं०१,७,८,९ के द्वारा विधिवत् प्रतिफल देकर जरिये वयनामा क्रय किया गया था। उक्त भूमि पैत्रिक संपत्ति नहीं है। आराजी क्रं० 450/2 रकवा 1 वीघा 5 विस्वा, 557, वादी तथा प्रतिवादी क्रं० 1 व 7 लगायत 9 को जमींदारी समाप्ति के पश्चात् 15 प्रतिशत में शासन से प्राप्त हुयी है। इसके अतिरिक्त आराजी क्रं० 961 जिसका परिवर्तित सर्वे क्रमांक 352 हुआ। वादी एवं प्रतिवादी क्रं० 7 लगायत 9 समान भाग पट्टे पर शासन से प्राप्त हुआ था। आराजी क्रं० 957/2 जिसका रकवा 0.52 है जिसका परिवर्तित सर्वे क्रमांक 350 है वह भी पट्टे में उक्त वादी एवं प्रतिवादी 1,७,८,९ को प्राप्त हुयी थी। आराजी क्रं० 1009, 1003 जिसका परिवर्तित सर्वे क्रं० 816 रकवा 1.20 वलवंत पुत्र थानसिंह से प्राप्त हुआ था जो कि उसकी तेरहवी के क्रियाकर्म प्रतिवादी क्रं०

7 के द्वारा किया गया था और उसको मिलना चाहिये था उस पर वादी एवं प्रतिवादी क्रं01 , 7,8,9 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं । इस प्रकार मात्र सर्वे क्रं0 947, 957/1 एवं 10 से 15 की भूमियां पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त हुयी हैं । शेष संपत्तियां स्वअर्जित संपत्ती हैं ।

06. इसके अतिरिक्त प्रतिवादी क्रं01 अविवाहित होना बताते हुये उसके द्वारा वैराग लिये जाने व उसकी सिविल डेथ हो जाने के अभिवचन को अस्वीकार किया गया है। उनके द्वारा यह बताया गया है कि प्रतिवादी क्रं01 बचपन से शंकर भगवान की पूजा करते हैं और उसके द्वारा अपने कुलगुरु राधाचरण ब्यास निवासी सिहोनिया से मंत्र लिया गया था । उसके द्वारा वैराग धारण कर संसार का परित्याग नहीं किया गया है बल्कि वह ग्राम सुहांस में ही रहकर प्रतिवादी क्रं0 7 और उनके पुत्रों के जरिये कृषि का कार्य करता एवं कराता है तथा भूमियों पर काबिज होकर काश्त कर रहे है । प्रतिवादी क्रं01 के द्वारा अपनी हिस्से की सीमा तक की भूमियों को अपनी मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी क्रं0 2 लगायत 6 जिनके द्वारा उसकी सेवा की जाती है उनके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है जो कि उसकी मृत्यु के उपरांत प्रभावशील होगा । वसीयतनामा उसके द्वारा स्वेच्छया निष्पादित किया गया है । वादी कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रति0क्रं0 1 द्वारा निष्पादित वसीयतनामा उसके जीवित होने से प्रभावशील नहीं है। प्रति0क्रं0 1 अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिये पूर्ण स्वतंत्र हैं। वादीगण के द्वारा सजरा खानदान अधूरा पेश किया गया है । वादी की एक वहन रामदुलारी पुत्री छोटेसिंह भी है जिसको कि पक्षकार नहीं बनाया गया है इसके अतिरिक्त प्रतिवादी क्रं0 7 के बड़े पुत्र भूरे सिंह की मृत्यु हो गयी है उसकी विधवा पत्नी और पुत्री को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है । इस प्रकार प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है । उपरोक्त आधारों पर वादी का वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

07. प्रति0क्रं0 8 लगायत 10 द्वारा सूचना उपरांत प्रतिवादपत्र प्रस्तुत न करने से व सुनवाई में भाग न लेने से उनके विरुद्ध प्रकरण एक पक्षीय किया गया । उक्त उत्तरार्थी/प्रति0क्रं0 8 लगायत 10 इस अपील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं । अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

08. विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण अपीलार्थी/वादी का वाद उभयपक्ष की साक्ष्य के आधार पर आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है तथा उसका अवशेष दावा निरस्त किया गया है जिससे व्यथित होकर यह व्यवहार अपील अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

09. प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से अपीलार्थी/वादी द्वारा यह आधार लिये गये हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय व आज्ञाप्ति दिनांक 22-3-07 अभिलेखगत साक्ष्य पर आधारित न होकर विधि एवं तथ्यों के विपरीत है । विचारण

न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को विचार में नहीं लिया उस पर गंभीरतापूर्वक विचार भी नहीं किया । उभयपक्ष की ओर से किये गये अभिवचनों के आधार पर निर्मित वाद प्रश्न 1 लगायत 6 पर समुचित साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके निष्कर्ष अंकित नहीं किये गये हैं । वाद प्रश्न क्र० 1 को वादी के पक्ष में सिद्ध होते हुये भी उसे सिद्ध न मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल कारित की है । इस प्रकार से विचारण न्यायालय द्वारा घोषित आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञाप्ति को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुये उसे अपास्त कर प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है ।

10. उत्तरार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को सारहीन होना बताते हुये आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

11. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में प्रथम अपील न्यायालय के द्वारा दिनांक 2-11-07 को आदेश पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22-3-07 को विचारणीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यार्तित किया गया है कि विरचित किये गये वादप्रश्नों के संबंध में निष्कर्ष निकालते हुये एवं पक्षकारों को साक्ष्य का अवसर देकर व्यवहार वाद का गुण दोषों के आधार पर पुनः निराकरण किया जाये। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसके विरुद्ध प्रस्तुत विविध अपील क्रमांक 1212/07 में आदेश दिनांक 5-3-15 में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 2-11-2007 जिसके जरिये प्रकरण को पूर्णतः रिमाण्ड किया गया था उसे अपास्त करते हुये इस निर्देश के साथ कि वादप्रश्न क्रमांक 2 व 3 के संबंध में विचारण न्यायालय से फाईण्डिंग रिकार्ड कराकर जो कि रिकार्ड में विद्यमान साक्ष्य के आधार पर ही होगी । पुनः अपील का निराकरण गुण दोष पर किये जाने का निर्देश दिया गया है । जिस तारतम्य में विचारण न्यायालय से वाद प्रश्न क्र० 2 व 3 पर फाईण्डिंग देकर अपील का गुण दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है ।

12. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि—

- 1—क्या प्रतिवादी क्र०1 के द्वारा सन्यास धारण करने के कारण उसकी सिविल डेथ हो चुकी है ?
- 2—क्या होने से वादी वादग्रस्त भूमियों का 1/4 भाग प्राप्त करने का अधिकारी है ?
- 3—क्या प्रतिवादी क्र०1 को बसियत करने का अधिकार न होने से बसियत नामा दिनांक 3-1-03 अवैध व शून्य है ?
- 4—क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 22-3-07 अभिलेखगत साक्ष्य पर आधारित न होकर विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ?

-: सकराण निष्कर्ष :-

13. अपीलार्थी/वादी अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह बताया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 कंचनसिंह उर्फ शंकरदास पिता की मृत्यु के उपरांत गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेकर सन्यासी हो गए थे और उनके द्वारा परिवार और सम्पत्ति से संबंध छोड़ दिया गया था तथा अपने गुरु के पास रहने लग गए थे। इस प्रकार कंचनसिंह पुत्र छोटेसिंह की सिविल डेथ हो चुकी थी, इस तथ्य को वादी के द्वारा अपने साक्ष्य के आधार पर भली-भाँति प्रमाणित किया गया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्य प्रमाणित नहीं माना गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 की सिविल डेथ होने के कारण वादग्रस्त सम्पत्तियाँ जो कि पैत्रिक सम्पत्ति है उस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 कंचनसिंह का कोई स्वत्व निहित नहीं रहा इसके उपरांत भी कंचनसिंह के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 6 के हक में वसीयतनामा दिनांक 03.01.2006 का निष्पादित किया गया है, जबकि वसीयतनामा लिखने का प्रतिवादी क्रमांक 1 को कोई अधिकार नहीं था। इस संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निकाला गया उचित नहीं है, जबकि वसीयतनामा अवैध व शून्य है। वादग्रस्त सम्पत्तियों पर वादी का 1/4 भाग पर प्रतिवादी क्रमांक प्रतिवादी क्रमांक 7 लगायत 9 के साथ भू-स्वामित्व आधिपत्य है उसे भी न मानने में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा त्रुटि की गई है।

14. प्रतिअपीलार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा कोई सन्यास धारण नहीं किया गया है। वह मात्र पूजा पाठ करता था और उनके द्वारा अपना गुरु बनाया गया था और उनके द्वारा संसार को त्यागा नहीं गया था। वादी को वादग्रस्त सम्पत्तियों में 1/4 भाग पर कोई भी स्वत्व निहित नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 को अपने हिस्से की भूमियों का वसीयत करने का अधिकार प्राप्त है। वसीयत अवैध और शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रतिअपीलार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह भी व्यक्त किया कि स्व० छोटेसिंह की पुत्री अर्थात् वादी की वहन रामदुलारी जीवित है। प्रकरण में रामदुलारी को पक्षकार के रूप में नहीं बनाया गया है जबकि वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है और इस प्रकार आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का भी दोष प्रकरण में है। जिस कारण वादी किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सकता।

15. सर्वप्रथम वादी पक्ष के द्वारा लिये गए आधार का कि प्रतिवादी क्रमांक 1 कंचनसिंह के द्वारा गृहस्थ जीवन से वैराग्य धारण कर लिया गया था और उनके सन्यासी हो जाने के कारण उनकी सिविल डेथ हो गई थी। इस बिन्दु पर वादी अपरवलसिंह वादी साक्षी क्रमांक 1 के द्वारा अपने शपथपत्र साक्ष्य कथन में इस संबंध में उसके द्वारा किये गए अभिवचन का समर्थन करते हुए यह बताया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के शादी नहीं हुई थी उसका मन सांसारिक एवं गृहस्थ जीवन में नहीं लगता था इस कारण पिता की मृत्यु के बाद सन् 1960 में आषाढ सुदी 15 (गुरु पूर्णिमा) के दिन गृहस्थ से वैराग्य धारण कर लिया था

और अपने गुरु जानकीदास के आश्रम पचनदा जिला जालौन उत्तरप्रदेश में गुरुमंत्र लिया था, लंगोटी व वभूती प्राप्त कर संन्यासी हो गए थे और अपने प्राकृतिक परिवार से अलग होकर संन्यासी परिवार में शामिल हो गए थे जिसका कि विधिवत अनुष्ठान और प्रसाद वितरण कराया गया था और पिता से प्राप्त हुई सम्पत्ति को अन्य चारों भाईयों को छोड़ दिया गया था। प्रतिवादी क्रमांक 1 तत्पश्चात् गुरु के आश्रम पर ही रह रहे हैं और सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास धारण कर लिया है और सामाजिक जीवन से छुटकारा प्राप्त कर लिया है और उनकी सामाजिक मृत्यु हो चुकी है। इसी प्रकार का कथन वादी साक्षी पृथ्वीसिंह भदौरिया वादी साक्षी क्रमांक 2 तथा नरेशसिंह वादी साक्षी क्रमांक 3 के द्वारा अपने शपथपत्र के मुख्य परीक्षण में किया है।

16. वादी के उपरोक्त संबंध में किए गए कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में वादी इस बात को स्वीकार किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 कंचनसिंह वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 7 सोनेसिंह के साथ रह रहे हैं। यद्यपि साक्षी सन् 2000 में बीमार होने पर सोने सिंह के साथ रहना बता रहा है। इस बिन्दु पर वादी साक्षी पृथ्वीसिंह भदौरिया ब0सा02 के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है कि कंचनसिंह सोनेसिंह के साथ रह रहे हैं। कंचनसिंह वर्तमान में बाबा हैं कि नहीं इस बारे में कोई जानकारी न होना बताया है तथा कंचनसिंह घर पर रहते हैं या बाहर रहते हैं इस बारे में भी जानकारी न होना बताया है, वादी अपरवलसिंह उसे वयान देने लाया है। इस प्रकार उक्त साक्षी जो कि दूसरे गांव का रहने वाला है और वादी का साढ़ू होना स्वीकार किया है क्या वास्तव में वह प्रतिवादी क्रमांक-1 के कथित संन्यास के समय मौजूद था ऐसा दर्शित होता है। वादी साक्षी नरेशसिंह ब0सा03 के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 में इस बात को स्वीकार किया गया है कि उसने कंचनसिंह के गुरु को नहीं देखा है और वह कंचनसिंह के गुरु का नाम भी नहीं जानता है तथा इस बात को भी स्वीकार किया है कि संन्यास धारण करने की कोई क्रिया उसके सामने नहीं हुई थी। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से इस संबंध में वादी के द्वारा किए गए कथन की पुष्टि नहीं होती है।

17. वादी पक्ष के द्वारा उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त कोई भी ऐसा दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है जिससे कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के गृहस्थ जीवन त्याग कर उसके संन्यासी होने अथवा उसके संन्यास आश्रम पर रहने की पुष्टि होती हो।

18. प्रतिवादी पक्ष ने अपने अभिवचन में प्रतिवादी क्रमांक 1 के गृहस्थ जीवन त्यागने और संन्यासी हो जाने की बात से इंकार किया है। उनके अनुसार कंचनसिंह बचपन से ही शंकर भगवान की पूजा करता था इसलिए उन्हें शंकरदास कहा जाता था, उन्होंने गुरु जानकीदास से कभी भी कोई मंत्र, लंगोटी, वभूती आदि नहीं ली थी। वादी एवं प्रतिवादीगण के कुलगुरु राधाचरण निवासी सिहोनियाँ के हैं। उपरोक्त संबंध में प्रतिवादी पक्ष की ओर से

प्रतिवादी सोनेसिंह प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1, सूवेदार प्र0सा0 3, वैजनाथ वघेल प्र.सा. 4 के कथन कराए है। सोने सिंह के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कंचनसिंह उसके साथ ही रहते हैं। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह भी है कि स्वयं प्रतिवादी क्रमांक 1 कंचनसिंह को भी प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 के रूप में कथन कराए है। कंचनसिंह प्रतिवादी साक्षी क्रं02 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उन्होंने कभी भी वैराग्य नहीं लिया था और सन्यासी नहीं हुए थे और उन्होंने संसार का त्याग नहीं किया था, वे बचपन से भगवान शंकर की पूजा करते थे इसलिए उन्हें शंकरदास कहा जाता था और उनके कुलगुरु राधाचरनव्यास जी सिहोनिया वाले हैं। साक्षी ने यह बताया है कि वह ग्राम सुहांस में ही निवास करता है। प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर उसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि शंकरजी की पूजा करने से उसे शंकरदास बाबा कहा जाता है, उसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उसके गुरु राधाचरन व्यास जी सिहोनिया वाले हैं वह अपने कानों में तुलसी और कुण्डल पहनते हैं। किन्तु मात्र इस आधार पर कि वह तुलसी और कुण्डल पहनता है उसे सन्यासी होना मान्य नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में जबकि स्वयं प्रतिवादी क्रमांक 1 कंचनसिंह जिसकी कि सिविल डेथ होनी कही जा रही है उसके द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया जा रहा है कि उसने कोई सन्यास धारण नहीं किया है और न ही वह गुरु के आश्रम पचनदा में रहता है, बल्कि वह अपने गांव सुहांस में ही रहता है। इस संबंध में साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है।

19. प्रतिवादी पक्ष के द्वारा उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के समर्थन में राशनकार्ड प्र.डी. 3 परिवार पत्र प्र.डी. 4 व 5 पेश किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मण्डी चुनाव की निर्वाचन नामावली 1999 की प्रति भी उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त दस्तावेजों प्र.डी. 3, 4 व 5 में प्रतिवादी क्रमांक 1 कंचनसिंह का नाम अपने भाई प्रतिवादी क्रमांक 7 सोने सिंह व उसके परिवार के साथ दर्ज है। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति की बोटरलिस्ट में निर्वाचन नामावलि में भी प्रतिवादी क्र. 1 कंचनसिंह का नाम दर्ज 1999 में दर्ज होना दर्शित होता है। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादी दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों जो कि खसरा की नकलों से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रं01 कंचनसिंह भूस्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में सभी अभिलेखों में दर्ज है जो कि इस संबंध में दावा प्रस्तुति पूर्व तक के खसरा एवं खतोनी से भी स्पष्ट होता है।

20. इस प्रकार मात्र इस आधार पर कि प्रतिवादी क्रमांक 1 कंचनदास के द्वारा विवाह नहीं किया गया है और वह पूजा-पाठ आदि करता है, उसके सन्यासी हो जाने और उसकी सिविल डेथ हो जाने का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी निर्णय की कंडिका 11 एवं 12 में स्पष्ट रूप से सभी तथ्यों एवं वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 कंचनदास के सन्यासी होने और

उनकी सिविल डेथ मान्य न किये जाने के संबंध में निष्कर्ष निकाला गया है जो कि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस संबंध में निकाला निष्कर्ष सर्वथा उचित होना पाया जाता है। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 कंचनदास उर्फ शंकरदास के सन्यासी होकर उनकी सिविल डेथ हो गई थी।

21. जहाँ तक वादग्रस्त भूमियों की प्रकृति एवं उनपर स्वत्व एवं आधिपत्य का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमियों के संबंध में वादी पक्ष के द्वारा अपने अभिवचन में वादग्रस्त भूमियों को पैत्रिक सम्पत्ति होना बताते हुए पिता छोटेसिंह की मृत्यु 1958 में होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1, 7, 8 व 9 को उत्तराधिकार में मिलना और इस प्रकार वादग्रस्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होना वादी साक्षी के द्वारा बताया गया है, जबकि प्रतिवादी पक्ष ने अपने अभिवचन में यह बताया है कि मात्र भूमि सर्वे क्रमांक 947 रकवा 5 बीघा, सर्वे क्रमांक 957/1 रकवा 02 बीघा 19 बिघा एवं सर्वे क्रमांक 1015 रकवा 2 बीघा 5 बिघा ही पैत्रिक सम्पत्तियाँ हैं जो कि वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1, 7, 8 व 9 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं, जिनका कि परिवर्तित सर्वे क्रमांक 330, 325 और 836 है। अन्य भूमि सर्वे क्रमांक 942/1, 963, 965, 951 एवं 1039 जिनका कि परिवर्तित सर्वे क्रमांक 323, 345, 342 एवं 844 है। उक्त सर्वे नम्बरों को करीब तीस वर्ष पूर्व वादी पिता की मृत्यु के बाद जरिए वयनामा खरीदा गया था। इसके अतिरिक्त भूमियाँ सर्वे क्रमांक 450/2, 597, जमींदारी समाप्त होने के पश्चात् 15 प्रतिशत में शासन से प्राप्त हुई थी। भूमि सर्वे क्रमांक 1002, 1003 परिवर्तित सर्वे क्रमांक 816 रकवा 1.20 वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1, 7, 8 व 9 को वलबंत पुत्र थानसिंह से प्राप्त हुई थी जो कि उसके क्रियाकर्म तैरहवी में प्रतिवादी क्रमांक 7 के द्वारा कराया जाने से अकेले उसे मिलना चाहिए थी, किन्तु वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1, 7, 8 व 9 के नाम भी उसमें दर्ज हो गए हैं तथा सर्वे क्रमांक 557/2 जिसका परिवर्तित सर्वे क्रमांक 350 है वह भी पट्टे में वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1, 7, 8 व 9 को प्राप्त हुई है।

22. वादी पक्ष जो कि वादग्रस्त सम्पत्तियों को संयुक्त परिवार की पैत्रिक सम्पत्ति होना अभिकथित किया है। इस बिन्दु पर वादी अपरवलसिंह ने अपने साक्ष्य कथन में वादग्रस्त भूमियाँ खसरा क्रमांक 350 जो कि शासकीय पट्टेदार के रूप में उनके पिता को प्राप्त हुई थी, शेष भूमि भू-स्वामित्व की होकर संयुक्त सम्पत्तियाँ होना बताया है। इस संबंध में वादी के द्वारा खसरा पांच साला नकल 2005-06 प्र.पी. 4 तथा किस्तबंद खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 5 पेश है तथा भूमि सर्वे क्रमांक 350 के संबंध में खसरा वर्ष 2002-03 प्र.पी. 3 पेश किया गया है। उक्त राजस्व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त बताई गई भूमियाँ वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1, 7, 8 व 9 के नाम पर भू-स्वामी के रूप में खसरा क्रमांक 350 को छोड़कर जो कि उक्त लोगों के नाम शासकीय पट्टेदार के रूप में दर्ज हैं।

23. प्रतिवादी पक्ष जो कि सर्वे क्रमांक 957/1, 947, 1015 जिनका परिवर्तित सर्वे

क्रमांक 330, 325, 836 को छोड़कर स्वअर्जित सम्पत्ति होना बता रहे हैं इसके प्रमाणन का भार कि क्या अन्य सम्पत्तियाँ वादी अथवा प्रतिवादी क्रमांक 1, 7, 8 व 9 की स्वअर्जित है, इसके प्रमाणन का भार प्रतिवादीगण पर है जो क उन्हें स्वअर्जित होना अभिकथित कर रहे हैं।

24. इस संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई भी विधिवत बटवारा नहीं हुआ है और पक्षकार वादग्रस्त भूमियों के संयुक्त स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज है। प्रतिवादी सोनेसिंह प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि सर्वे क्रमांक 942/1, 963, 965, 951 और 1039 की भूमियाँ वादी एवं उसने और प्रतिवादी क्रमांक 1, 8 व 9 के द्वारा उसके पूर्व स्वामी बदनसिंह, सोवरनसिंह, हरीशचन्द्र और भारतसिंह निवासी ग्राम सुहांस से नगद बिक्रय धन देकर करीब 30 वर्ष पूर्व भू-स्वामी स्वत्व प्राप्त किया था और इस प्रकार उक्त सम्पत्ति उनके द्वारा स्वयं खरीदी गई है वह पैत्रिक नहीं है। भूमि सर्वे क्रमांक 450/2 और 597 जमींदारी समाप्त होने के पश्चात् 15 प्रतिशत के हिसाब से शासन द्वारा दी गई थी और सर्वे क्रमांक 561 व 557/2 पर शासकीय पट्टे पिता की मृत्यु के बाद शासकीय पट्टे प्राप्त हुए हैं। सर्वे क्रमांक 1002, 1003 वलबंतसिंह से प्राप्त हुई हैं।

25. प्रतिवादी पक्ष के द्वारा ग्राम सुहांस परगना गोहद की जमाबंदी सन् 1953 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 2, जमाबंदी वर्ष 1950-51 प्र.डी. 6, खसरा पांचसाला सम्बत् 2026-30 प्र. डी. 7, खसरा पांचसाला सम्बत् 2031-34 प्र.डी. 8, खसरा पांचसाला सम्बत् 2035-39 प्र.डी. 9 एवं खसरा पांचसाला सम्बत् 2040-44 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 10 पेश किये गए हैं। प्रतिवादी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत खसरा पांचसाला नकल प्र.डी. 8 व 8 से यह दर्शित होता है कि सर्वे क्रमांक 942/1, 951, 963, 965 एवं 1035 की भूमियाँ पूर्व में हरचन्द्रसिंह, बदनसिंह बगैरह के नाम पर दर्ज है जो कि राजस्व न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.1975 के जरिए वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1, 7, 8 व 9 के नमा पर नामांतरण होकर भूस्वामी के रूप में दर्ज हुई है। उपरोक्त संबंध में प्रतिवादी पक्ष के द्वारा जो कि उक्त वादग्रस्त भूमियों को स्वअर्जित सम्पत्ति होना बता रहे हैं अन्य कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में बिक्रयपत्र जिसके जरिए उक्त वादग्रस्त भूमियों को क्रय किया जाना बता रहे हैं, बिक्रयपत्र भी न्यायालय में पेश नहीं किया गया है जो कि इस संबंध में सर्वोत्तम साक्ष्य हो सकता है। इस बिन्दु पर वादी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह बताया गया है कि उक्त भूमियों का वयनामा कराया गया था वह वयनामा सभी भाईयों के नाम पर था। वयनामा पेश करने के संबंध में पूछे जाने पर वयनामा खो जाना बताया है। किन्तु निश्चित रूप से वयनामा जिसके आधार पर उक्त भूमियाँ क्रय कर स्वअर्जित किया जाना बताया जा रहा है उसकी सत्यप्रतिलिपि पंजीयन विभाग से प्राप्त कर पेश या प्रमाणित करायी जा सकती थी जिससे कि इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकती थी कि वास्तव में उक्त भूमि कब क्रय की गई थी और कब उसके आधार पर स्वत्व

प्राप्त हुआ । यद्यपि खसरा प्रविष्टी प्र0डी08 और 9 नामांतरण के आधार पर भूमियों का नामांतरण होना परिलक्षित होता है, किन्तु नामांतरण स्वत्व का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। स्वत्व अर्जित करने हेतु बिक्रयपत्र जिसके आधार पर स्वत्व अर्जित होना बताया जा रहा है वह पेश किया जाना आवश्यक था।

26. इसके अतिरिक्त अन्य विवादित बताई गई भूमि सर्वे क्रमांक 450/2, 597 जो कि प्रतिवादीगण के अनुसार जमींदारी समाप्त होने के पश्चात् 15 प्रतिशत भाग शासन से प्राप्त हुआ था इस संबंध में भी कोई भी दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है। भूमि सर्वे क्रमांक 1002, 1003 जिनका कि परिवर्तित नम्बर 816 बताया गया है, उक्त भूमियाँ भी स्वअर्जित सम्पत्ति होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है। सर्वे नम्बर 350 का शासकीय पट्टा वादी एवं प्रतिवादी क्रं01,7,8,9 को ही दिया गया हो इस आशय का भी कोई प्रमाण पेश नहीं है । इस प्रकार विवादित भूमियों में उपरोक्त अनुसार बतायी जा रही भूमियां वादी तथा प्रतिवादी क्रं01 एवं 7 लगायत 9 के द्वारा स्वअर्जित करने के तथ्य उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है ।

27. यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि वादी पक्ष एवं प्रतिवादी पक्ष के पास कुछ सम्पत्तियाँ पिता की मृत्यु के पश्चात् आई हैं, तो भी उक्त संबंध में पक्षकार जिनके मध्य कि कोई विधिवत् बटवारा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का नहीं हुआ है और यदि संयुक्त परिवार के सम्पत्तियों में कोई नई सम्पत्ति आई भी है तो वह संयुक्त परिवार की ही सम्पत्तियाँ होगी। किसी पक्षकार के द्वारा अपनी व्यक्तिगत आय से सम्पत्ति अर्जित की हो ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रमाण नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि संयुक्त परिवार की सम्पत्तियाँ रहते हुए इसमें कोई अन्य सम्पत्ति मिली या जोड़ी गई हो या कोई सम्पत्ति मिली हुई हो तो उसका स्वरूप संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति का ही होगा, उसे किसी या किन्हीं पक्षकारों की स्वअर्जित सम्पत्ति होना मान्य नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में वादग्रस्त सम्पत्तियों में से कुछ सम्पत्तियाँ जो प्रतिवादीगण स्वअर्जित सम्पत्ति होना बता रहे हैं वह सम्पत्तियाँ स्वअर्जित होनी प्रमाणित नहीं होती, बल्कि सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ वादी एवं प्रतिवादी पक्ष की पैत्रिक सम्पत्ति होना पाई जाती है।

28. वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमियों के 1/4 भाग पर उसका स्वत्व एवं आधिपत्य निहित होना बताया गया है जो कि वादी के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 के वैराग्य धारण कर लेने और उसकी सिविल डेथ हो जाने के कारण उसके हिस्से का 1/5 भाग वह वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 7, 8 व 9 को सम्पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया है और इस प्रकार 1/4, 1/4 भाग पर उसे स्वत्व प्राप्त हो गया है। वादग्रस्त भूमियों पर आधिपत्य के संबंध में वादी के द्वारा अपने अभिवचन में यह बताया गया है कि पिता की मृत्यु के बाद वादी जो कि भारत रक्षा विभाग में सेवा में था उसकी एवं प्रतिवादी क्रमांक 7 सोनेसिंह की संयुक्त खेती होती रही जो

कि 1/2 भाग पर उनका आधिपत्य रहा, उसके सेवानिवृत्त होने पर घरू बांट के अनुसार सन् 1990 में सर्वे क्रमांक 342 रकवा 0.33, सर्वे क्र. 597 रकवा 0.25, सर्वे क्र. 836 रकवा 0.47, सर्वे क्र. 844 रकवा 0.90 के पूरे रकवा तथा सर्वे क्रमांक 350 के 1/4 भाग पर पश्चिम दिशा में घरू बांट के अनुसार खेती करने लगा।

29. उपरोक्त संबंध में वादी अपरवलसिंह के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में उसके द्वारा किये गए अभिवचनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि वादग्रस्त भूमियाँ पिता के मरने के बाद उसे एवं प्रतिवादी क्रमांक 1, 7, 8 व 9 को प्राप्त हुई थी जो कि उनके पिता की मृत्यु वर्ष 1958 में हुई थी। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वैराग्य धारण कर लिया था उसके द्वारा सांसारिक जीवन का त्याग करने के कारण वादग्रस्त भूमियों पर उसका 1/5 भाग वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 7 लगायत 9 को समान रूप से प्राप्त हुआ और इस प्रकार वह 1/4 – 1/4 भाग के हकदार हुए।

30. उपरोक्त संबंध में पूर्ववर्ती विवेचना जो कि वादप्रश्न क्रमांक 1 पर निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 कंचनसिंह उर्फ शंकरदास के सन्यासी होकर संसार को त्यागने अथवा उसकी सिविल डेथ होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। इस संबंध में स्वयं कंचनसिंह प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसके द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसने कोई वैराग्य अथवा सन्यास धारण नहीं किया है, वह सोनेसिंह के साथ ही रहता है और उसकी खेती सोनेसिंह के साथ ही होती है। निश्चित रूप से जबकि कंचनसिंह अभी जीवित है तथा राजस्व अभिलेखों में जो कि पूर्व से वर्तमान तक के राजस्व अभिलेख वादी एवं प्रतिवादी पक्ष के द्वारा पेश किये गये हैं उन सभी अभिलेखों में प्रतिवादी क्रमांक 1 कंचनसिंह वादग्रस्त भूमि का स्वामी होने के बात उल्लेख है। नवीनतम खसरा एवं खतौनी जो कि वादी के द्वारा पेश की गई है प्र.पी. 3, प्र.पी. 4, प्र.पी. 5 में कंचनसिंह का नाम भूस्वामी के रूप में दर्ज है तथा प्र.डी. 7, प्र.डी. 8, प्र.डी. 9 एवं प्र.डी. 10 के दस्तावेजों में भी कंचनसिंह का नाम भूस्वामी के रूप में दर्ज है। ऐसी दशा में जबकि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 1 कंचनसिंह प्रतिवादी क्रमांक 7 के साथ रह रहा है और उसी के जरिए खेती कर रहा है। वादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का स्वत्व समाप्त होना किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं है।

31. प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय छोटेसिंह जो कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1, 7, 8, व 9 के पिता हैं, वादग्रस्त सम्पत्तियों का स्वरूप संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का होना पाया गया है। मृतक छोटेसिंह के वारिसों में वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1, 7, 8 व 9 के अतिरिक्त उनके बहन रामदुलारी का होना प्रतिवादीगण के द्वारा अपने अभिवचन में स्पष्ट रूप से बताया गया है और यह आधार लिया गया है कि वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार के रूप में है। उसे पक्षकार न बनाये जाने से प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के

असंयोजन का दोष है ।

32. उपरोक्त संबंध में प्रतिवादी सोनेसिंह प्रतिवादी क्र०1 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उनकी बहन रामदुलारी है जिसे कि पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस बिन्दु पर वादी अपरवलसिंह वादी साक्षी क्रमांक 1 के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 16 में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उनकी एक बहन रामदुलारी भी है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि रामदुलारी को पक्षकार के रूप में नहीं बनाया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त सम्पत्तियों को संयुक्त परिवार की पैत्रिक सम्पत्ति होना पाया गया है। उक्त सम्पत्तियों का कोई भी विभाजन पक्षकारों के मध्य होना भी नहीं पाया गया है। ऐसी दशा में उनका स्वरूप संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का है। पक्षकारों की बहन रामदुलारी जीवित है जो कि धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वर्ग-1 की वारिस है। इसके अतिरिक्त धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम संसोधन 2005 के परिप्रेक्ष्य में भी रामदुलारी का सहदायिकी सम्पत्ति पर हित निहित होगा और वह भाईयों के सामान उस पर हिस्सा प्राप्त करेगी। ऐसी दशा में वादग्रस्त सम्पत्तियों का 1/4 भाग पर वादी का स्वत्व निहित होना प्रमाणित नहीं होता है।

33. वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में वादी अपरवलसिंह ने अपने साक्ष्य कथन में विवादित भूमियों के 1/4 भाग पर स्वयं का आधिपत्य होना बताया है और उसके द्वारा यह भी बताया गया है कि पिता की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी 8 व 9 अलग हो गए थे, वह और प्रतिवादी क्रमांक 7 शामिल सरीख रहकर खेती करते थे जिस कारण विवादित भूमि का 1/2 भाग उसके और प्रतिवादी सोनेसिंह का आधिपत्य रहा है। सन् 1990 में उसके रिटायर्ड होने के पश्चात् सोनेसिंह से अलग होकर भूमि सर्वे क्रमांक 342, 597, 836, 844 के पूरे रकवे पर और 350 के 1/4 भाग पर पश्चिम दिशा में उसे प्राप्त हुआ और उसी के द्वारा उस पर खेती की जानी बताई है और इसी प्रकार पृथ्वीसिंह वा०सा० 2 और नरेश सिंह वा०सा० 3 ने भी विवादित भूमि के 1/4 भाग पर वादी के द्वारा खेती करने के संबंध में बताया गया है। उपरोक्त संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण की खेती अलग अलग होने के संबंध में प्रतिवादी सोनेसिंह के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है। प्रतिवादी की जमीन पहले उसका सादू पृथ्वीसिंह ग्राम हरीछा के करते थे, वादी के रिटायर्ड होने के पश्चात् वह खुद खेती करता है, उसका भाई कंचनसिंह उसके साथ में रहता है और खेती में उसकी मदद करता है। इस संबंध में कंचनसिंह प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 के द्वारा भी यह बताया गया है कि वह अपने हिस्से की खेती सोनेसिंह के साथ ही रहकर कर रहा है। इस संबंध में प्रतिवादी साक्षी सूवेदार सिंह प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 3 और वैजनाथ प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 4 के कथन में भी खेती अलग अलग होने के संबंध में बताया गया है।

34. इस प्रकार यद्यपि वादी एवं प्रतिवादीगण की खेती पृथक पृथक होना साक्ष्य

कथन में आया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उनकी खेती सुविधा की दृष्टि से पृथक पृथक हो रही है, जबकि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का कोई विधिवत बटवारा न हुआ हो तब तक उसके प्रत्येक सहदायिकी सदस्य का संयुक्त रूप से उस पर कब्जा माना जाएगा और उस पर उनका संयुक्त हक एवं आधिपत्य निहित रहेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व अभिलेखों में भी कहीं भी वादग्रस्त सम्पत्तियों में वादी का पृथक से आधिपत्य होने का भी उल्लेख नहीं है, बल्कि राजस्व अभिलेखों में भी वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1, 7 लगायत 9 का संयुक्त स्वत्व आधिपत्य उन पर उल्लेखित है। ऐसी दशा में जबकि वादी के अतिरिक्त प्रतिवादी क्रमांक 1 कंचनसिंह तथा प्रतिवादी क्रमांक 7, 8, व 9 के अतिरिक्त पक्षकारों की बहन रामदुलारी का स्वत्व एवं आधिपत्य निहित होना पाया गया है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमियों के 1/4 भाग पर वादी का आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं होता है।

35. वादी के द्वारा अपने अभिवचन एवं दावे में चाही गयी सहायता में प्रतिवादी क्रं01 के द्वारा प्रतिवादी क्रं0 2 लगायत 6 के पक्ष में निष्पादित किये गये वसीयतनामा दिनांक 3-1-2003 के संबंध में उक्त वसीयत नामा को अवैध एवं शून्य घोषित किये जाने की याचना भी की गयी है जो कि उसके अनुसार प्रतिवादी क्रं07 के द्वारा अपने पुत्रों प्रतिवादी क्रं06 के पक्ष में प्रतिवादी क्रं01 जो कि वेराग धारण कर लिया था और जिसे वादग्रस्त भूमि का वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है और शारीरिक और मानसिक रूप से भी वह सक्षम नहीं है। उसके द्वारा लिखाया गया वसीयतनामा स्वत्वहीन व शून्यहीन है।

36. उपरोक्त संबंध में पूर्ववर्ती विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 कंचनसिंह का वादग्रस्त भूमियों पर स्वत्व या हित निहित है। यह भी उल्लेखनीय है कि कंचनसिंह अभी जीवित है, कंचनसिंह जो कि प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है उसके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसने प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 6 के पक्ष में उनकी सेवा से खुश होकर सोच समझकर वसीयतनामा लिखा है। प्रतिवादी कंचनसिंह के उपरोक्त संबंध में किए गए कथन का कोई भी प्रतिखण्डन नहीं हुआ है जिससे कि यह दर्शित होता हो कि प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 6 के द्वारा उसे अपने प्रभाव में लेकर के जबरन कोई वसीयत उसे लिखाया गया हो, बल्कि स्वयं वसीयतकर्ता कंचनसिंह के द्वारा स्पष्ट रूप से प्र.डी. 1 का वसीयतनामा उसके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 6 के पक्ष में निष्पादित किये जाने के तथ्य की पुष्टि की है।

37. वसीयतनामा प्र0डी01 का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वसीयतनामा वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् ही प्रभावशील होता है। वसीयतकर्ता कंचनसिंह अभी जीवित है और उसकी सिविल मृत्यु होने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं है। वादग्रस्त भूमियों का वह सहस्वामी होना भी पाया गया है। ऐसी दशा में जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमियों पर स्वत्व रखता है उसे अपने हिस्से की भूमियों तक वसीयत करने

का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि अपने जीवनकाल में वसीयतनामा को वह बापस भी ले सकता है और निरस्त भी कर सकता है। वसीयतनामा के आधार पर जो कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् ही प्रभावशील होता है किसी पक्षकार को कितना स्वत्व प्राप्त हो रहा है यह उस स्टेज पर ही देखा जायेगा जबकि ऐसा प्रश्न उद्भूत होगा। इस प्रकार प्रकरण में आयी हुयी साक्ष्य एवं पूर्ववर्ती विनिश्चय और निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में वसीयतनामा दिनांक 3-1-2003 स्वत्वविहिन व शून्यहीन होना नहीं पाया जाता।

38. यह भी उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा वर्तमान दावा वादग्रस्त भूमियों पर स्वत्व की घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा एवं वसीयतनामा को निष्प्रभावी घोषित किये जाने वाबत् पेश किया गया है। वादग्रस्त संपत्तियां संयुक्त परिवार की पैत्रिक संपत्तियां होनी पायी गयी हैं जिनका कि कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी क्रं01,7,8,9 के अतिरिक्त स्व0छोटेसिंह की पुत्री रामदुलारी भी है। रामदुलारी के मौजूद होने और उसे पक्षकार न बनाये जाने के संबंध में प्रतिवादीपक्ष के द्वारा अपने जवाब दावे में प्रारम्भ से ही यह आपत्ती ली गयी है। वादी ने भी रामदुलारी के मौजूद होने एवं उसे पक्षकार न बनाये जाने की बात को स्वीकार किया है। निश्चित तौर से दावे की प्रकृति के अनुसार विनिश्चय हेतु रामदुलारी दावे में आवश्यक पक्षकार है। वादी के द्वारा जानकारी होने के बावजूद भी उसे पक्षकार के रूप में संयोजित करने की कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। प्रकरण में वह आवश्यक पक्षकार है। इस प्रकार प्रकरण में रामदुलारी को पक्षकार न बनाये जाने से आवश्यक पक्षकार के असंयोजन का दोष होना स्पष्ट है और इस आधार पर भी वादी दावे के अनुसार कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

39. इस प्रकार प्रतिवादी क्रं01 की सिविल डेथ होनी प्रमाणित नहीं है। वादी वादग्रस्त भूमियों का $1/4$ भाग प्राप्त करने का अधिकारी होना भी नहीं पाया जाता। वसीयतनामा दिनांक 3-1-2003 निष्प्रभावी एवं शून्य होना भी प्रमाणित नहीं पाया जाता। तदनुसार बिन्दु क्रमांक 1,2,3 का उत्तर नहीं में दिया जाता है।

40. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय और डिक्री दिनांक 22-3-2007 का जहां तक प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आलोच्य निर्णय व आदेश में तथा इस संबंध में दिनांक 7-5-15 को दी गयी फाईण्डिंग जिसमें कि प्रतिवादी क्रं01 की सिविल डेथ होने के तथ्य को प्रमाणित न पाने में तथा वादी का वादग्रस्त संपत्तियों पर $1/4$ भाग पर स्वत्व एवं आधिपत्य निहित होना प्रमाणित न पाने में तथा प्रतिवादी क्रं.1 के द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 3-1-2003 को अवैध एवं निष्प्रभावी होना प्रमाणित न पाने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक एवं तथ्यात्मक भूल या त्रुटि की जानी प्रमाणित नहीं होती। यद्यपि इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी का वादग्रस्त भूमि पर $1/5$ भाग पर भूस्वामी व आधिपत्यधारी होने की सहायता प्रदान की गयी है। जबकि इस संबंध में स्वयं वाद

प्रश्न क्र०2 पर निकाले गये निष्कर्ष में उसे उतने भाग का स्वत्वधारी होना भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं माना है। इस प्रकार इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी परस्पर विरोधी निष्कर्ष निकाले गये हैं। ऐसी दशा में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा वादी को 1/5 भाग पर स्वत्व एवं आधिपत्य निहित होने के संबंध में फाईण्डिंग दी गयी है और तदनुसार आंशिक रूप से उसके पक्ष में उक्त आशय की डिक्री पारित की गयी है वह भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। दावे में स्पष्ट रूप से आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने के कारण भी वादी किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

41. तदनुसार अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य न होने से अपील सारहीन होने के कारण सब्यय निरस्त की जाती है।

निर्णय के अनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही /—
(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

सही /—
(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड